



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-621

New Delhi: 02.09.2020

Sh. Narendra Singh
S/o Late Dhiraj Singh
Village Jamal Pur
Post-Dankaur Railway Staion
District-Gautam Budh Nagar
UP-203202
Mobile-09313111054

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI application dated 05.08.2020 received in this office on 13.08.2020.

Information as obtained from the concerned record holding office is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Ms. R. P. Chhibber
GM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Supreme Court Metro Station Building,
Pragati Maidan, New Delhi-110001.



(S.K. Roy)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: skroy@dfcc.co.in

011-23454707

DA: 01 sheet



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि०
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

पत्रांक: एम0टी0सी./ई0एन0/आर0टी0आई0/भाग-3/50/

दिनांक- 17.08.2020

उप मुख्य सूचना अधिकारी
डी0 एफ0 सी0 सी0 आई0 एल0 मेरठ।

विषय :- श्री नरेन्द्र सिंह, द्वारा दिनांक 13.08.2020 को प्राप्त सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- निगम मुख्यालय पत्रांक संख्या- 2020/HQ/ADMIN/RTI-621 दिनांक- 13.08.2020

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम-खेरली हफीजपुर के खसरा संख्या-259 में से 0.1520है0 भूमि का अधिग्रहण डी0 एफ0 सी0 सी0 आई0 एल0 परियोजना के निर्माण हेतु किया गया है तथा 0.0460है0 भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा 20 ई के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के लिए प्रस्ताव रेलवे बोर्ड नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है।

अधिग्रहण के उपरान्त खसरा संख्या-259 की अवशेष भूमि में जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता अथवा अनउपलब्धता तथा चक मार्ग दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय अथवा सम्बन्धित राजस्व विभाग के द्वारा आवश्यक राजस्व अभिलेखों एवं मौके का निरीक्षण करने के उपरान्त सम्बन्धित राजस्व विभाग द्वारा ही प्रदान की जा सकती है। इस कार्यालय में चक मार्ग दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

धन्यवाद।

Trishu
17.8.2020
परियोजना प्रबन्धक,
डी.एफ.सी.सी.आई.एल., नोएडा।

01c
98